



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49640-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक विविध रिट याचिका संख्या - 3693 वर्ष 2026

सनी

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अमन कुमार राय, अशोक कुमार राय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित अनुतोष के लिए दाखिल की गई है:-
"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को पुलिस थाना टीलामोड़ (कमिश्नरेट गाजियाबाद), जिला गाजियाबाद में बी.एन.एस. की धारा 109(1) के अंतर्गत अपराध संख्या 042 वर्ष 2025 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.02.2025 के अनुसरण में निष्पक्ष अन्वेषण को, इस माननीय न्यायालय के समक्ष इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान एक निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने का निदेश दिया जाए।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) कोई ऐसी रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय याची के हित में न्यायोचित और उचित समझे।

(iii) रिट याची को वाद व्यय प्रदान किया जाए।”

3. याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याची वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 02.02.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले का अन्वेषण नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याची अपनी शिकायत को उजागर करते हुए और निष्पक्ष तथा तटस्थ अन्वेषण की मांग करते हुए पुलिस आयुक्त (कमिशनरेट गाजियाबाद), जिला गाजियाबाद के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है और यदि पुलिस आयुक्त (कमिशनरेट गाजियाबाद), जिला गाजियाबाद के समक्ष ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो पुलिस आयुक्त (कमिशनरेट गाजियाबाद), जिला गाजियाबाद/प्रत्यर्थी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और शीघ्र अन्वेषण सुनिश्चित करेंगे।
5. पूर्वोक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

मार्च 11, 2026

जफर

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।